

स.क.	पदनाम	कार्यक्रम का नाम	एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह (रु. में)	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद								दिव्यांग	शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव
					अनारक्षित		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.			
					मु	म	मु	म	मु	म	मु	म		
6	Nursing Officer & Staff Nurse	NHM,NUH M,UAAM,S NCU,NBSU	16500.00 & 16000.00	30	12	4	1	0	5	1	2	0	5 (OL)	1. BSC Nursing / Post Basic B.Sc. Nursing. 2. General Nursing and Midwifery GNM Course Passed. With Live Registration in Chhattisgarh Nursing council.
7	Pharmacists - NUHM	NUHM	16500.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Degree Or Diploma in Pharmacy & Registration in Pharmacy Registration Council .
8	Accountant - NUHM	NUHM	16000.00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1. M.Com(Regular) (Passed with 50 %) And Knowledge of Tally 9.0 is Compulsory OR 2. B.Com(Regular) (Passed with 50 % minimum) And Knowledge of Tally 9.0 is Compulsory.
9	TBHV	NTEP	14000.00	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1. Graduate in science. OR 2. Intermediate (10+2) in Science and experience of Work in as MPW/LHV/ANM/ Health Worker /Certificate OR 3. Higher Course in Health education / Counselling OR 4. Tuberculosis health visitor's recognised course. Certificate course in computer operations (Minimum two Months)
10	Dental Assistant	NOHP,NUH M	12000.00	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (OL, OA, OAL,BL ,HH)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता- matriculation from recognised Board . वांछित योग्यता - Experience- Two years experience in a Dental College clinic . Only Govt. Health facility experience should be considered . Preference can be given to candidates done 1 year course of lab technician(dental work related)/Hygenist or dental technician from medical college .
11	MPW (Male) - UAAM	NUHM	14000.00	11	6	0	2	0	0	0	1	0	2 (OL & OA)	Must Have passed higher Secondary examination (10+2) , with Biology Subject. One year diploma in Multipurpose worker training or Equivalent Training from Training Centre recognised by the sate government with registered in chhattisgarh ParamediacI Council.
12	Ophthalmic Assistant - NUHM	NUHM	12000.00	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	(1) 10+2 पद्धति में 12 वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिये । (2) नेत्र सहायक में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये एवं (3) पैरामेडिकल काउंसिल से नेत्र सहायक के रूप में पंजीयन होना चाहिये ।
13	Jr. Secretarial Assistant	NUHM,UA AM,NPCDC S,NHM	12000.00	17	6	1	3	1	3	0	1	0	2 (OL,H HOA, OAL, BL)	12 th Passed with at least one year Computer Diploma

A Singh

16/7/20

16/7/20

16/7/20

16/7/20

16/7/20

16/7/20

16/7/20

भाग - अ														
स.कं.	पदनाम	कार्यक्रम का नाम	एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह (रु. में)	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पद								दिव्यांग	शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अनुभव
					अनारक्षित		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.			
					मु	म	मु	म	मु	म	मु	म		
14	2nd ANM & ANM	NHM,NUHM	12000.00	7	3	0	1	0	1	0	2	0	0	12 th Passed , ANM Passed & INC affiliated training Centre & Live Registration in Chhattisgarh nursing Registration council .
15	Class - IV - UAAM	NUHM	10000.00	21	10	4	3	0	1	0	1	0	2 (OL, OALV)	मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वीं पास
16	Ward Assistant & Attendant	NPHCE,NMHP	8800.00	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं अस्पताल में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव
17	Support Staff - Mental Health Unit Sweeper & Housekeeping Staff	NMHP/ICU	8800.00	4	1	0	2	0	1	0	0	0	0	मान्यता प्राप्त संस्थान से 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण
18	Security Guard	ICU	8800.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1.मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 2 अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अभ्यर्थी की न्यूनतम उंचाई 160 से.मी. होना अनिवार्य है। 3. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था में सेक्युरिटीगार्ड के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के अनुभव को अंक प्रदाय किया जावेगा तथा निजी संस्था के अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को पात्र किया जावेगा किन्तु अनुभव का अंक सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
Total				107	43	9	17	1	13	2	10	0	12	

नोट :-

- समस्त पद संविदा के हैं।
- उक्त पदों पर नियमानुसार शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार क्षौतिज व प्रवर्गवार महिलाओं/निःशक्तजन के लिये आरक्षण लागू होगा। छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी विशेष आरक्षण नियम एवं शर्तें लागू होगी।
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से धारित होना अनिवार्य है।
- इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल. पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अधीन होगी।

//भाग - ब//

ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश :-

- आवेदन केवल ऑनलाईन एवं निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा जो दिनांक 17.07.2026 से 31.07.2026 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक वेबसाइट www.durg.gov.in पर किये जा सकते हैं।
- आवेदन:-** आवेदन ऑनलाईन के माध्यम से लिया जावेगा एवं आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। अभ्यर्थी अपने मोबाईल नम्बर के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन करेंगे, जिसके पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड आवेदक के पंजीकृत मोबाईल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करना सुनिश्चित करेंगे।

16.7.26 16.7.26 16.7.26 16.7.26 16.7.26 16.7.26

3. आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के पश्चात Save Application पर click करें और Final Submit पर Click करेंगे। ऑनलाईन Submit किये गये आवेदन का प्रिंट निकालकर एवं आवेदन पर हस्ताक्षर करके आवेदन को अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जावेगा जिसे अमान्य किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात् उसे सुरक्षित रखें, जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की अंकसूची (जिसमें समस्त वर्षों का अंक दर्शित हो) अथवा समस्त वर्षों की अंकसूची, अनुभव प्रमाण पत्र/कोविड अनुभव प्रमाण पत्र (नियुक्ति आदेश के साथ) अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को जाति, निवास, संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड नहीं करना है, बाद में चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण के समय उनका सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् मूल दस्तावेज जाँच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है अथवा चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनकी पात्रता/चयन निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तकर्ता का होगा।
8. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रविष्ट की गयी जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनायी जावेगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने/अपूर्ण जानकारी प्रदाय करने पर आवेदक का आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा, जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करना सुनिश्चित करें।
9. **आवेदन शुल्क :-** सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 10-2/2022/एफ 10-2/2022/एक (1) दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा।
10. **दिव्यांगता -** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक /एफ20-4/2014/आ.प्र. /1-3 नवा रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2014 के पत्र क्रमांक एफ1-21/2014/सक/26 अनुसार आरक्षित दिव्यांग पद निम्नानुसार अभ्यर्थियों के लिये चिह्नित किया जाता है -

स. क.	पदनाम	कार्यक्रम का नाम	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु पात्रता
01	Nursing Officer & Staff Nurse	NHM, NUHM, UAAM, SNCU, NBS U	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
02	MPW (Male) - UAAM	NUHM	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL & OA दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
03	Dental Assistant	NOHP, NUHM	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL, OA, OAL, BL & HH दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
04	Jr. Secretarial Assistant	NUHM, UAAM, N PCDCS, NHM	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL, HH, OA, OAL & BL दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।
05	Class IV (UAAM)	NUHM	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार केवल OL, OA & LV दिव्यांग आरक्षण के लिये पात्र होंगे।

901

16/7/26

16/7/26

25

16.7.26

16.7.2026

Dr

11. आयु सीमा-

- 11.1 संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी।
- 11.2 आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जायेगी।

12. आवश्यक दस्तावेज:- आवेदक दस्तावेज परीक्षण के समय निम्न अभिलेखों की मूलप्रति अनिवार्यतः लायेंगे-

- 12.1 10 वी की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- 12.2 12 वी की अंकसूची।
- 12.3 स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- 12.4 संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- 12.5 छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- 12.6 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण - पत्र (यदि लागू हो तो)।
- 12.7 यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)। शारीरिक दिव्यांग आवेदन हेतु मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 12.8 पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो)
- 12.9 यदि आवेदक किसी शासकीय/अर्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 12.10 शासकीय/अर्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित संस्था का नियुक्ति आदेश एवं नियोक्ता का अनुभव प्रमाण - पत्र।

13 अनुभव प्रमाण पत्र -

- 13.1 विज्ञापित पद से संबंधित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जावेगा।
- 13.2 अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
- 13.3 अनुभव के लिए अंकों की गणना किसी एक संस्था में एक पद पर 12 माह कार्य पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।
- 13.4 अवर सचिव छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रं.F1-67/2021/सत्रह -1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/02/2023 में प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा।
- 13.5 कोविड-19 में कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने का नियुक्ति तथा अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी/नियुक्तकर्ता द्वारा जारी संलग्न किया गया हो।
- 13.6 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थिति में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकतम 10/15 अंक तक दिया जाना है। इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी को दोनों अनुभव में किसी एक अनुभव का अधिकतम अंक दिया जावेगा।
- 13.7 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19 अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB-101(3)/30/2026-DHS/346 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16.06.2026 में प्राप्त निर्देशानुसार कोविड 19 अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कोविड 19 अनुभव अंक प्रदान किया जावेगा।
- 13.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम/एच.आर./2023/172/2132 नवा रायपुर 08.09.2023 अनुसार ए.एन.एम/नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा ए.एन.एम. पदों में भर्ती हेतु प्रतिवर्ष अनुभव का 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंक तक दिया जावेगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

Amish

M

LS

16/7/26 16.7.2026

16/7/26

16/7/26

DE

14 भर्ती प्रक्रिया :-

- 14.1 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त पात्र आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अभ्यर्थियों को तैयार मेरिट के अनुसार दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट/क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट हेतु बुलाया जावेगा-

क्रमांक	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्कीनिंग किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना

- 14.2 दावा आपत्ति के अंतिम दिवस तक जो अर्हता/दस्तावेज है, केवल उन्ही दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य किया जावेगा। समयावधि उपरांत जारी किसी भी दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 14.3 परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को क्लीनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट के समय उनके द्वारा भरे हुये ऑनलाईन आवेदन के समय उल्लेखित किये गये समस्त मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के अभाव में अपात्र घोषित करते हुये कौशल परीक्षा से वंचित किया जावेगा।
- 14.4 उक्त पद हेतु नर्सिंग/पैरामेडिकल काउन्सिल में जीवित एवं स्थायी पंजीयन अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उन्हें अपात्र किया जायेगा।

15 चयन सूची का प्रकाशन :-

- 15.1 पद क्रमांक 01 से 10 तक के लिए अंको का निर्धारण :-

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक।
- अनुभव का अंक 10/15
- कौशल/लिखित परीक्षा - 20 अंक।
- अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक/कोविड-19 बोनस अंक + कौशल/लिखित परीक्षा के अंक)

- 15.2 पद क्रमांक 11 से 12 तक के लिए अंको का निर्धारण :-

- 12 वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक।
- तकनीकी योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 35 प्रतिशत अंक।
- अनुभव का अंक 10/15
- कौशल/लिखित परीक्षा - 20 अंक।
- अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक/कोविड-19 बोनस अंक + कौशल/लिखित परीक्षा के अंक)

- 15.3 पद क्रमांक 13 तक के लिए अंको का निर्धारण :-

- 12 वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक।
- तकनीकी योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 35 प्रतिशत अंक।
- अनुभव का अंक 10/15
- कौशल/लिखित परीक्षा - 20 अंक।
- कम्प्यूटर से संबंधित कार्य के लिए कम्प्यूटर में कौशल परीक्षा ली जावेगी।
- अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक/कोविड-19 बोनस अंक + कौशल/लिखित परीक्षा के अंक)

- 15.4 पद क्रमांक 14 के लिए अंको का निर्धारण :-

- 12 वीं में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक।
- ए.एन.एम. कोर्स में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक।
- अनुभव का अंक 10/15/20
- कौशल/लिखित परीक्षा - 20 अंक
- अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक/कोविड-19 बोनस अंक + कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के अंक)

- 15.5 पद क्रमांक 15 से 18 तक के लिए अंको का निर्धारण :-

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक।
- अनुभव का अंक 10/15
- अंतिम चयन सूची = (शैक्षणिक योग्यता + अनुभव का अंक/कोविड-19 बोनस अंक)

Abin

20

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

16.7.2020

15.6 संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2022/एन.एस.-1637/3703 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.02.2022 के अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है जिससे कम होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा, और अनंतिम मेरिट सूची में शामिल करने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

15.7 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में प्राप्त अंक एवं अनुभव के अंकों को सम्मिलित करते हुये मेरिट सूची तैयार की जावेगी जिसके आधार पर अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जायेगा। कौशल परीक्षा में उपस्थित होने पर ही अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

16 प्रतीक्षा सूची:-

उक्त पद के लिए वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक, जो भी पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्याग पत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

//भाग - स//

भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें एवं दिशा निर्देश

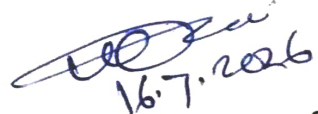
- 1 सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे।
- 2 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। कौशल परीक्षा के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- 3 संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ. पी. अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- 4 वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
- 5 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देनी होगी अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 6 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होंगे) प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- 7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 8 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 9 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- 10 अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2023/आ.प्र/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 29.05.2023 अनुसार विशिष्ट जीवित दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति के समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 के अनुवर्तन में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को घोषणा -पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा।
- 11 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा। तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 12 अभ्यर्थी को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय देय नहीं होगा।

16.7.2026

16/7/26

16/7/26

- 13 चयन उपरान्त सभी चयनित उम्मीदवारों को बॉण्ड भरना होगा कि वे अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेंगे।
- 14 प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसका अधिकार चयन समिति/नियोक्ता का होगा।
- 15 प्रकाशित प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची का अवलोकन अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से विभागीय वेबसाइट **www.durg.gov.in** पर करना सुनिश्चित करे, अन्यथा दावा आपत्ति की अंतिम तिथि उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 16 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट आधार पर काउन्सलिंग अनुसार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी मेरिट आधार पर पदस्थापना स्थल तथा पदनाम एवं कार्यक्रम चयन कर सकेंगे।
- 17 संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
- 18 भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा आधार पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- 19 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा- आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिले की विभागीय वेबसाइट **www.durg.gov.in** एवं कार्यालय के सूचना पटल में किया जावेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।


 16.7.2026
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला-दुर्ग(छ.ग.)